

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 829/2024

अनवान : -

1. हजारी पुत्र अमर गिर जाति गोंसाई निवासी तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. अमर गिर पुत्र गणेश गिर जाति गोसाई निवासी सिरंगसर तहसील।
2. केशर पुत्र अमर गिर जाति गोसाई निवासी सिरंगसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ.
राज0
3. भानी गर पुत्र गणेश गिर जाति गोसाई निवासी रावतसर तहसील नोहर जिला
हनुमानगढ
4. सोहन गिर पुत्र खुसी गिर जाति गोसाई निवासी सिरंगसर तहसील नोहर जिला
हनुमानगढ
5. मांगीलाल पुत्र कुसी राम जाति गोसाई निवासी सिरंगसर तहसील नोहर जिला
हनुमानगढ
6. कृष्णा देवी पुत्री गणेश गिर जाति गोसाई निवासी सिरंगसर तहसील नोहर जिला
हनुमानगढ
7. गीता पुत्री गणेश गिर जाति गोसाई निवासी सिरंगसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
8. सरदारी पत्नी गणेश गिर जाति गोसाई निवासी सिरंगसर तहसील नोहर जिला
हनुमानगढ
9. लादुराम पुत्र भानीगर जाति गोसाई निवासी रावतसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
10. राजुगर पुत्र भानीगर जाति गोसाई निवासी रावतसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
11. समुन्द्र सिंह पुत्र भानी राम जाति गोसाई निवासी रावतसर तहसील नोहर जिला
हनुमानगढ
12. भंवरी पुत्री भानी राम जाति गोसाई निवासी सिरंगसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
13. पुरी देवी पुत्री भानी राम जाति गोसाई निवासी सिरंगसर तहसील नोहर जिला
हनुमानगढ
14. मंजू देवी पुत्री भानी राम जाति गोसाई निवासी सिरंगसर तहसील नोहर जिला
हनुमानगढ
15. बबिता पुत्री भानी राम जाति गोसाई निवासी सिरंगसर तहसील नोहर जिला
हनुमानगढ
16. राजू देवी पुत्री अमरगिर जाति गोसाई निवासी सिरंगसर तहसील नोहर जिला
हनुमानगढ
17. पुष्पा देवी पुत्री अमरगिर जाति गोसाई निवासी सिरंगसर तहसील नोहर जिला
हनुमानगढ
18. द्रोपती पुत्री कुसीगर जाति गोसाई निवासी सिरंगसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
19. कुसी राम उर्फ कुशलगर उर्फ कुशलगिर पुत्र गणेश गिर जाति गोसाई निवासी
सिरंगसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
20. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 ,राजस्थान काश्त0
अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 03/9/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता, राजस्थान वाद अन्तर्गत
धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही
मोजा ढाणी रायकान त. नोहर के जमाबन्दी सम्वत् 2076-2079 के खाता संख्या 426/5 के कुल

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

खसरे 2 की कुल 1.5460 है. भूमि वा रोही मोजा सिरंगसर तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2074/2077 के खाता संख्या 82/74 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 18.9880 हे० भूमि व खाता संख्या 57/51 के कुल खसरे 1 की कुल 2.2770 है. भूमि वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं व रोही मौजा लालानाबास उतरादा के जमाबदी सम्वत 2071/2074 खाता संख्या 130/141 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 16.6400 है० भूमि में से 1/5 हिस्सा प्रतिवाद संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उक्त वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 19 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म जात हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 7 जो की प्रतिवादी संख्या 1,3 व 18 की माता है व वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 17 की दादी है उपरोक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहती व अपना जो भी हक व हिस्सा है अपने पुत्रो व पौत्रो के पक्ष में परित्याग कर चुकी है व प्रतिवादी संख्या 19 जो कि प्रतिवादी संख्या 4,5 वा 18 का पिता है मुताबिक पारिवारिक समझोता उपरोक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहता है अपना जो हक व हिस्सा है अपने पुत्रो के पक्ष में परित्याग कर चुका है प्रतिवादी संख्या 18 जो कि प्रतिवादी संख्या 4,5 की बहीन है व प्रतिवादी संख्या 19 की पुत्री है उपरोक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहती व अपना जो भी हक व हिस्सा है अपने भाईयो पक्ष में परित्याग कर चुकी है वा प्रतिवादी संख्या 16,17 जो कि प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री व वादी व प्रतिवादी संख्या 2 की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहती व अपना जो भी हक व हिस्सा है अपने भाईयो व पिता के पक्ष में परित्याग कर चुकी है वा प्रतिवादी संख्या 12 ता 15 जो कि प्रतिवादी संख्या 3 की पुत्री है व प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहती व अपना जो भी हक व हिस्सा है अपने भाईयो व पिता के पक्ष में परित्याग कर चुकी है जिसके अनुसार रोही मोजा ढाणी रायकान त. नोहर के जमाबन्दी सम्वत् 2076-2079 के खाता संख्या 426/5 के कुल खसरे 2 की कुल 1.5460 है. भूमि वा रोही मोजा सिरंगसर तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2074/2077 के खाता संख्या 82/74 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 18.9880 हे० भूमि में से 1/3 हिस्सा पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1,2 ब.हि.ब काबिज है वा 1/3 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3, 9, 10,11 ब. हि.ब काबिज है वा 1/3 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 4 ता 5 ब.हि.ब काबिज व रोही मोजा सिरंगसर के खाता संख्या 57/51 के कुल खसरे 1 की कुल 2.2770 है. भूमि पर प्रतिवादी संख्या 19 यथावत काबिज है वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी सं० 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अ
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 ता 19 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 19 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 20 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम, शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उक्त वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 19 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म जात हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 7 जो की प्रतिवादी संख्या 1,3 व 18 की माता है व वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 17 की दादी है उपरोक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहती व अपना जो भी हक व हिस्सा है अपने पुत्रो व पौत्रो के पक्ष में परित्याग कर चुकी है व प्रतिवादी संख्या 19 जो कि प्रतिवादी संख्या 4,5 वा 18 का पिता है मुताबिक पारिवारिक समझौता उपरोक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहता है अपना जो हक व हिस्सा है अपने पुत्रो के पक्ष में परित्याग कर चुका है प्रतिवादी संख्या 18 जो कि प्रतिवादी संख्या 4,5 की बहीन है व प्रतिवादी संख्या 19 की पुत्री है उपरोक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहती व अपना जो भी हक व हिस्सा है अपने भाईयो पक्ष में परित्याग कर चुकी है वा प्रतिवादीया संख्या 16,17 जो कि प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री व वादी व प्रतिवादी संख्या 2 की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहती व अपना जो भी हक व हिस्सा है अपने भाईयो व पिता के पक्ष में परित्याग कर चुकी है वा प्रतिवादी संख्या 12 ता 15 जो कि प्रतिवादी संख्या 3 की पुत्री है व प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहती व अपना जो भी हक व हिस्सा है अपने भाईयो व पिता के पक्ष में परित्याग कर चुकी है जिसके अनुसार रोही मोजा ढाणी रायकान त. नोहर के जमाबन्दी सम्वत् 2076-2079 के खाता संख्या 426/5 के कुल खसरे 2 की कुल 1.5460 है. भूमि वा रोही मोजा सिंरगसर तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2074/2077 के खाता संख्या 82/74 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 18.9880 हे० भूमि में से 1/3 हिस्सा पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1,2 ब.हि.ब काबिज है वा 1/3 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3, 9, 10,11 ब.हि.ब काबिज है वा

1/3 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 4 ता 5 ब.हि.ब काबिज व रोही मोजा सिरंगसर के खाता संख्या 57/51 के कुल खसरे 1 की कुल 2.2770 है। भूमि पर प्रतिवादी संख्या 19 यथावत काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।


हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मोजा ढाणी रायकान त. नोहर के जमाबन्दी सम्वत् 2076-2079 के खाता संख्या 426/5 के कुल खसरे 2 की कुल 1.5460 है। भूमि वा रोही मोजा सिरंगसर तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत् 2074/2077 के खाता संख्या 82/74 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 18.9880 हे० भूमि व खाता संख्या 57/51 के कुल खसरे 1 की कुल 2.2770 है। भूमि वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं व रोही मोजा लालानाबास उतरादा के जमाबदी सम्वत् 2071/2074 खाता संख्या 130/141 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 16.6400 हे० भूमि में से 1/5 हिस्सा प्रतिवाद संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उक्त वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 19 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म जात हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 7 जो की प्रतिवादी संख्या 1,3 व 18 की माता है व वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 17 की दादी है उपरोक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहती व अपना जो भी हक व हिस्सा है अपने पुत्रों व पौत्रों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है व प्रतिवादी संख्या 19 जो कि प्रतिवादी संख्या 4,5 वा 18 का पिता है मुताबिक पारिवारिक समझौता उपरोक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहता है अपना जो हक व हिस्सा है अपने पुत्रों के पक्ष में परित्याग कर चुका है प्रतिवादी संख्या 18 जो कि प्रतिवादी संख्या 4,5 की बहीन है व प्रतिवादी संख्या 19 की पुत्री है उपरोक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहती व अपना जो भी हक व हिस्सा है अपने भाईयो पक्ष में परित्याग कर चुकी है वा प्रतिवादी संख्या 16,17 जो कि प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री व वादी व प्रतिवादी संख्या 2 की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहती व अपना जो भी हक व हिस्सा है अपने भाईयो व पिता के पक्ष में परित्याग कर चुकी है वा प्रतिवादी संख्या 12 ता 15 जो कि प्रतिवादी संख्या 3 की पुत्री है व प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहती व अपना जो भी हक व हिस्सा है अपने भाईयो व पिता के पक्ष में परित्याग कर चुकी है जिसके अनुसार रोही मोजा ढाणी रायकान त. नोहर के जमाबन्दी सम्वत् 2076-2079 के खाता संख्या 426/5 के कुल खसरे 2 की कुल 1.5460 है। भूमि वा रोही मोजा सिरंगसर तहसील नोहर के

अ
उपजण्ड अधिकारी
नोहर

जमाबदी सम्वत 2074/2077 के खाता सख्या 82/74 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 18.9880 हे0 भूमि में से 1/3 हिस्सा पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1,2 ब.हि.ब काबिज है वा 1/3 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3, 9, 10,11 ब.हि.ब काबिज है वा 1/3 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 4 ता 5 ब.हि.ब काबिज व रोही मोजा सिरंगसर के खाता संख्या 57/51 के कुल खसरे 1 की कुल 2.2770 है. भूमि पर प्रतिवादी संख्या 19 यथावत काबिज है। वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 को कोई एतराज नहीं है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा ढाणी रायकान त. नोहर के जमाबन्दी सम्वत् 2076-2079 के खाता संख्या 426/5 के कुल खसरे 2 की कुल 1.5460 है. भूमि वा रोही मोजा सिरंगसर तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2074/2077 के खाता सख्या 82/74 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 18.9880 हे0 भूमि में से प्रतिवादी संख्या 8 का नाम कलमजन किया जाकर 1/3 हिस्सा भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 को ब.हि.ब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा 1/3 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 3, 9, 10, 11 को ब.हि.ब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं उक्त दोनो खातो में से प्रतिवादी संख्या 19 का नाम कलमजन किया जाकर 1/3 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 4 ता 5 को ब.हि.ब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व रोही मोजा सिरंगसर के खाता संख्या 57/51 के कुल खसरे 1 की कुल 2.2770 है. भूमि में व रोही मोजा ढाणीरायकान के खाता संख्या 34/40 के कुल खसरे 3 की कुल 2.3780 है. भूमि में प्रतिवादी संख्या 19 का नाम कुशलगिर पुत्र गणेशगिर व कुशलगर पुत्र गणेशगर के स्थान पर कुसी राम पुत्र गणेश गिर का संशोधन किया जाकर उक्त वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 19 के नाम दर्ज भूमि यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03/9/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 829/2024

अनवान : -

1. हजारी पुत्र अमर गिर जाति गोंसाई निवासी तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. अमर गिर पुत्र गणेश गिर जाति गोसाई निवासी सिरंगसर तहसील।
2. केशर पुत्र अमर गिर जाति गोसाई निवासी सिरंगसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ. राज0
3. भानी गर पुत्र गणेश गिर जाति गोसाई निवासी रावतसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
4. सोहन गिर पुत्र खुसी गिर जाति गोसाई निवासी सिरंगसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
5. मांगीलाल पुत्र कुसी राम जाति गोसाई निवासी सिरंगसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
6. कृष्णा देवी पुत्री गणेश गिर जाति गोसाई निवासी सिरंगसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
7. गीता पुत्री गणेश गिर जाति गोसाई निवासी सिरंगसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
8. सरदारी पत्नी गणेश गिर जाति गोसाई निवासी सिरंगसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
9. लादुराम पुत्र भानीगर जाति गोसाई निवासी रावतसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
10. राजुगर पुत्र भानीगर जाति गोसाई निवासी रावतसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
11. समुन्द्र सिंह पुत्र भानी राम जाति गोसाई निवासी रावतसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
12. भंवरी पुत्री भानी राम जाति गोसाई निवासी सिरंगसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
13. पुरी देवी पुत्री भानी राम जाति गोसाई निवासी सिरंगसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
14. मंजू देवी पुत्री भानी राम जाति गोसाई निवासी सिरंगसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
15. बबिता पुत्री भानी राम जाति गोसाई निवासी सिरंगसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
16. राजू देवी पुत्री अमरगिर जाति गोसाई निवासी सिरंगसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
17. पुष्पा देवी पुत्री अमरगिर जाति गोसाई निवासी सिरंगसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
18. द्रोपती पुत्री कुसीगर जाति गोसाई निवासी सिरंगसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
19. कुसी राम उर्फ कुशलगर उर्फ कुशलगिर पुत्र गणेश गिर जाति गोसाई निवासी सिरंगसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
20. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955


राजस्व वाद संख्या 829 सन 2024 निर्णय दिनांक 03/9/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा ढाणी रायकान त. नोहर के जमाबन्दी सम्वत् 2076-2079 के खाता संख्या 426/5 के कुल

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

खसरे 2 की कुल 1.5460 है. भूमि वा रोही मोजा सिरंगसर तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2074/2077 के खाता संख्या 82/74 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 18.9880 हे0 भूमि में से प्रतिवादी संख्या 8 का नाम कलमजन किया जाकर 1/3 हिस्सा भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 को ब.हि.ब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा 1/3 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 3, 9, 10, 11 को ब.हि.ब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं उक्त दोनो खातो में से प्रतिवादी संख्या 19 का नाम कलमजन किया जाकर 1/3 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 4 ता 5 को ब.हि.ब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व रोही मोजा सिरंगसर के खाता संख्या 57/51 के कुल खसरे 1 की कुल 2.2770 है. भूमि में व रोही मोजा ढाणीरायकान के खाता संख्या 34/40 के कुल खसरे 3 की कुल 2.3780 है. भूमि में प्रतिवादी संख्या 19 का नाम कुशलगिर पुत्र गणेशगिर व कुशलगर पुत्र गणेशगर के स्थान पर कुसी राम पुत्र गणेश गिर का संशोधन किया जाकर उक्त वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 19 के नाम दर्ज भूमि यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 03/9/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर